114/22 कमला - फूलाराम

दिनांक	आज्ञा पत्र
2/12/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/12/24 को पेश हो भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
12/12/24	पत्रावली पेश। अपील अपीलाट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 114 / 2022

1 कमला पुत्री नाथूराम पत्नी हरिराम आयु वर्ष जाति मेघवाल निवासी झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांट

बनाम

1 फूलाराम पुत्र लोठाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर राज.।

2 श्योराम पुत्र लोठाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर राज.।

3 किशोर सिंह पुत्र श्री गाड सिंह जाति राजपूत निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।

4 चिमना राम पुत्र चेतन राम नायक जाति नायक निवासी परसनेऊ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।

5 रोहिताश पुत्र भागीरथमल जाति जाट निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।

6 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा तारपुरा तहसील व जिला सीकर राज. जरिये शाखा प्रबंधक

7 भूमि विकास बैंक शाखा पिपराली तहसील व जिला सीकर राज. जरिये प्रबंधक

8 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

9 उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय सीकर जिला सीकर।

10 विक्रम सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय द्वितीय सीकर बउनवानी प्रकरण फूलाराम बनाम श्योराम वगै. मुकदमा नम्बर 114/2021 फैसला दिनांकित 25.08.2022

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामस्वरूप , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 12.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 114/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद रिकार्ड दुरूस्तीकरण, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 520, 614/1529, 614 वाके ग्राम तारपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 30.09.2021 को दावा पेश किया गया तथा दिनांक 29.10.2021 के लिए तारीख दी गई दिनांक 17.11.2021 के बाद दिनांक 05.01.2022 की तारीख दी गई दिनांक 05.01.2022 को रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

संख्या 2 श्योराम की ओर से वकालतनामा पेश हुआ पत्रावली के आर्डरशीट के अवलोकन से स्पष्ट है कि तामील रेस्पोडेन्ट/वादी की ओर से पेश ही नहीं की गई ओर गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही करके रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी का दावा डिक्री करके विचारण न्यायालय ने सख्त कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट/प्रतिवादिया की तामील सम्मन के जरिये व चस्पांदगी के जरिये नोटिस देकर भी नहीं करवाई उसके पीहर के पते पर दादिया पर रजिस्टर्ड डाक भिजवाई उसके पश्चात उसके ससुराल झीगर बड़ी के पते पर तामील भिजवाई गई इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी के आरंभ से ही मन में बेईमानी थी इसलिए उसने जान बूझकर तामील अपीलांट/प्रतिवादिया के ससुराल के पते पर नहीं भिजवाई। रेस्पोडेन्ट/वादी के इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु उद्घोषणा का दावा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया है जबकि अपंजीबद्ध इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है इसके अलावा विचारण न्यायालय को अपंजीबद्ध इकरारनामा के आधार पर कोई अनुतोष प्रदान करने का श्रवणाधिकार नहीं है इकरारनामा की पालना करवाये जाने का अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। कानून की यह साफ मान्य स्थिति है कि 100/- रूपये से अधिक कीमत की संपदा को बेचान होने की सूरत में इस बाबत इकरारनामा का विधिवत रूप से उप पंजीयक के यहां पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है रेस्पोडेन्ट/वादी के हक में कथित रूप से निष्पादित लिखावट 10/- रूपये के स्टाम्प पर है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का दावा उद्घोषणा का है संविदा की विशिष्ट अनूपालना का नहीं है विचारण न्यायालय को इस तरह की लिखावट के आधार पर कोई अनुतोष प्रदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने रिकार्ड दुरूस्ती का भी अनुतोष अपने दावे में चाहा है जबकि रिकार्ड सही बना हुआ है लोठा की मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्रों के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है जो सही दर्ज हुई है नाथूराम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

अपीलांट/प्रतिवादिया के नाम से सही रूप से खातेदारी दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया है अपीलांट/प्रतिवादिया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं है एक 10/– रूपये के स्टाम्प की लिखावट को बेचान का दस्तावेज नहीं माना जा सकता है ना ही पारिवारिक समझौता है। इस तरह के दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। इसलिए जैर अपील निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कोई कब्जा साबित नहीं किया है बल्कि अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है तथा उसने बैंक से केसीसी कार्ड भी बना रखा है। अपीलान्ट वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात काश्त करती चली आ रही है और ना ही विचारण न्यायालय द्वारा खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया गया है तथा पत्रावली पर शपथ पत्र के रूप में पेश किये गये है, उक्त शपथ पत्र भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट की तामील के पूर्व ही पेश कर दिये थे तथा विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पेश दस्तावेजात का कोई विवेचन नहीं किया तथा यह भी नहीं पाया कि वादी का दावा किस प्रकार से डिक्री किये जाने योग्य है। बिना साक्ष्य का विवेचन किये ही एक 10/– रूपये के स्टाम्प की लिखावट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दावा डिक्री करने में विचारण न्यायालय ने सख्त भूल की है इसलिए जैर अपील निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 कमला की तामील उसके पीहर दादिया में भिजवाई गई थी। जिसे विचारण न्यायालय ने सही मानकर दिनांक 06.04.2022 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांट की तामील उसके ससुराल के पते झीगर बड़ी में करवाने के आदेश दिये। इस आदेश की पालना में अपीलांट के नाम रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाया गया है। यह नोटिस पत्रावली में संलग्न डिलिवरी रिपोर्ट के अनुसार 20.05.2022 को अपीलांट को डिलिवर हो चुका है। अपीलांट द्वारा इसके पश्चात उपस्थिति नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार सम्यक तामील के उपरांत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 कमला की तामील उसके पीहर दादिया में भिजवाई गई थी। जिसे विचारण न्यायालय ने सही मानकर दिनांक 06.04. 2022 को अपीलांट की तामील उसके ससुराल के पते झीगर बड़ी में करवाने के आदेश दिये। इस आदेश की पालना में अपीलांट के नाम रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाया गया है। यह नोटिस पत्रावली में संलग्न डिलिवरी रिपोर्ट के अनुसार 20.05.2022 को अपीलांट को डिलिवर हो चुका है। अपीलांट द्वारा इसके पश्चात उपस्थिति नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार सम्यक तामील के उपरांत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर